भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2387

दिनांक 13 फरवरी, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

धुबरी जिले में अपर्याप्त सार्वजनिक अवसंरचना

†2387. मोहम्मद रकीबुल हुसैनः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि असम के धुबरी जिले में सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना इसकी विशाल और मुख्य रूप से ग्रामीण आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए कतई पर्याप्त नहीं है;
(ख) यदि हां, तो धुबरी जिले में स्वीकृत, कार्यशील और निर्माणाधीन उप-केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों की संख्या कितनी है;
(ग) क्या कई स्वास्थ्य इकाइयां स्वच्छ पेयजल, बिजली और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव वाली जर्जर इमारतों से संचालित हो रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) सरकार द्वारा धुबरी जिले में स्वास्थ्य अवसंरचना का एक निर्धारित समय-सीमा के भीतर उन्नयन करने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। असम राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, असम के धुबरी जिले में स्वास्थ्य अवसंरचना और सेवा प्रदायगी को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। जिले में एक कार्यरत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) और 18 कार्यरत उपकेंद्र हैं, जबकि 16 उपकेंद्र निर्माणाधीन हैं।

(ग) और (घ): असम राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, स्वास्थ्य सेवाएं कार्यरत भवनों से प्रदान की जा रही हैं, और जहां भी सेवाएं पुरानी या आंशिक रूप से जर्जर संरचनाओं से दी जा रही हैं, वहां आवश्यक

स्वास्थ्य सेवाओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अंतरिम व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य सुविधाओं में पेयजल, बिजली और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) और राज्य योजनाओं के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर धुबरी जिले में स्वास्थ्य अवसंरचना को उन्नत करने के लिए कई उपाय किए हैं, जिनमें नई स्वास्थ्य सुविधाओं का निर्माण, मौजूदा संस्थानों का उन्नयन, आवश्यक उपकरणों का प्रावधान और बुनियादी सुविधाओं में सुधार शामिल हैं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना (एनएचएम) के अंतर्गत प्राप्त कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के आधार पर, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार, मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार, कार्यवाही अभिलेख (आरओपी) के रूप में प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करती है। असम सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में शुरू की गई या चल रही स्वास्थ्य सुविधाओं का विवरण मंत्रालय की वेबसाइट पर आरओपी के निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है:

https://nhm.gov.in/index1.php?lang=1&level=1&sublinkid=1377&lid=744
